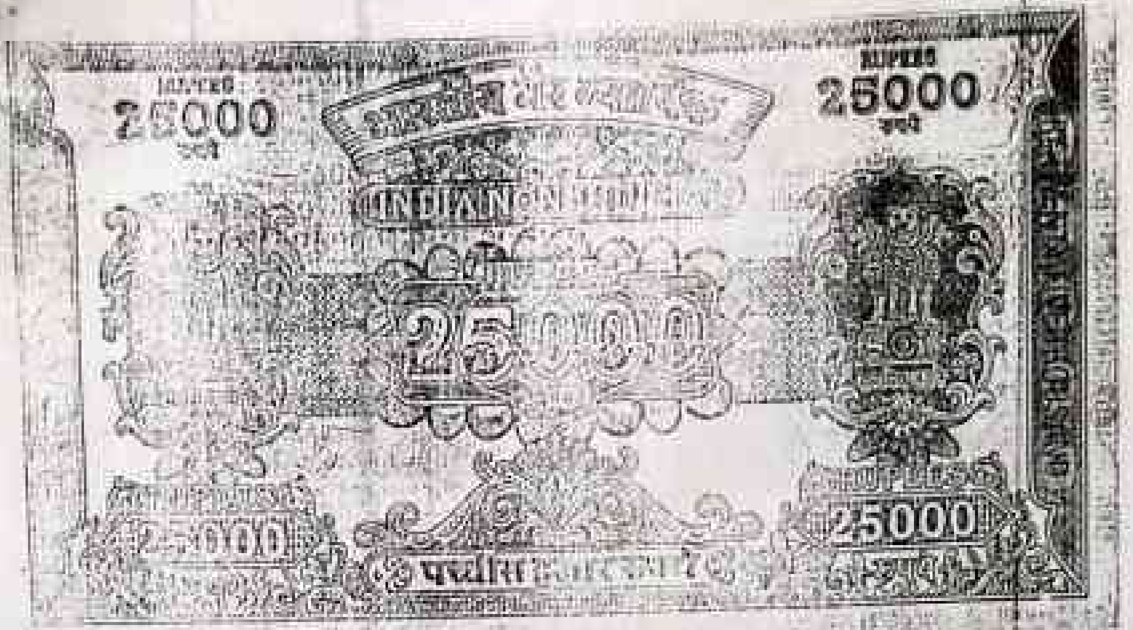

0300 790222

29 2005

उ.प्र. स्टाम्प अधिनियम सन् १८९९ की धारा २(१०) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्पित

- विक्रयपत्र तादादी – ४०,००,००० भारतीय लाख रुपया
- एक किता कुल मुकम्मल मिल्कियत जायदाद नम्बर पुराना १७३६।३ नया २२५८ (मौजा पटवारान मुकाबिल मुकाम दिवानराय हैस्ट नम्बर) मिल्कियत कारपोरेशन नम्बर २१।२७० बीबनिमण्डी इलाका वार्ड शहर आगरा क्षेत्रफल २०६२ "१७ कनीम अर्थात् १७४९" ३१ वर्गमीटर कि जो संलग्न मानचित्र में लाल से साफ तौर से दिखाया गया है कि जिसके बाहरी और ५० मीटर की जिसमें पुराने निर्माण मय कुल अधिकार मुताल्लिका कि जिसकी नाप व सीमायें इस प्रकार हैं–

ATTESTED

Prakash Agarwal

25000

400000

Cashier
Agra Treasury

400000

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

पच्चीस हज़ार रुपये

03DD 790223

29 APR 2005

-२-

दिशा	नाप	सीमा
पूरब-	१०७ फुट	शेष जमीन प्लौट नम्बर बारह छिपिपरा
पश्चिम-	११२ फुट	शेष जमीन प्लौट नम्बर बारह। श्री प्रभाशचन्द्र [illegible] है कोई इकरारनामा कायम नहीं है
उत्तर-	१०२फुट	गली १८ फुट चौड़ी इस तरफ निकास वगैरह इस भूखण्ड के हैं
दक्षिण-	१०० फुट	जमीन प्लौट नम्बर ग्यारह इस तरफ पानी और है कोई इकरारनामा कायम नहीं है और न आइंदा कायम होगे

- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित सर्किल दर
  मटवारन - ३०००) रुपया प्रति वर्गमीटर
  शीतलमिण्डी - ३०००) रुपया प्रति वर्गमीटर
- उक्त दर के अनुसार इस विक्रय पत्र ५२,४८,०००) रुपया पर दस प्रतिशत की दर से ५,२४,८००) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-०-०-०-

ATTESTED

Prakash Agarwal

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790224

-3-

हमकि विनय कुमार पाटनी पुत्र स्व० श्री हीरालाल पाटनी निवासी ४६ लाज रोड सदर बाजार छावनी आगरा———विक्रेता प्रथमपक्ष

व

श्री प्रकाश बजाज पुत्र श्री राधारमण निवासी ४२ गफ्फार रोड आगरा छावनी आगरा————————क्रेता द्वितीयपक्ष है।

विदित है कि प्रथमपक्ष उक्त खुली जमीन मिन्जुमला बंगला नम्बर बारह, मिन्जुमला कन्टोनमेन्ट नं० २९।२७० स्थित [illegible] मथुरा [illegible] मुस्तहिद [illegible] गार्ड सदर आगरा क्षेत्रफल १२४९.२१ वर्गमीटर के पूर्णतः मालिक काबिज व रिकोर्डेड ओनर है। अन्य कोई हिस्सेदार या साझीदार या हकदार आदि किसी प्रकार का नहीं है कि जो प्रथमपक्ष है उक्त भूखण्ड को बेचने आदि के

ATTESTED

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 790225

-4-

रेहन बकि तथा उस मुनाफा आय तक प्रत्येक प्रकार के क्रय-विक्रय-दान-
अमानत-सौदे-वादे-झगड़े-रोक-अधिग्रहण-कुर्की के विवाद आदि-वादि से
बरी पाक व साफ है तथा उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान
का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त भूमि घोषित
हुआ है और न अधिग्रहित हुआ है और न कोई प्रतिकर प्रपत्र या अन्य
न प्राप्त किया है और उसकी मिलकियत से कोई कागजात किसी भी
आड़ या अमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

ATTESTED

Notary

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790226

कैलाश नाथ
29 APR 2005
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

-५-

विदित हो कि पूर्व समय में मौजा घटवासन मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा की कुछ आराजियात पर जौन्स स्पिनिंग मिल, कौटन स्पिनिंग मिल, औरियेन्टल स्पिनिंग मिल, जौन्स प्रिन्सेस औफ वाल्स स्पिनिंग मिल्स एवं जौन्स रौलर फिलौर मिल सन् १९०१ से मैसर्स एल्जीन [illegible] कम्पनी के द्वारा संचालित किये जा रहे थे। इस कम्पनी के मालिकान [illegible] पर एडविन जौन्स नाइट, जौर्ज स्टोनी [illegible] जौन्स एवं हेनरी मैक्सटाइन थे। उपरोक्त मिलों के कारोबार हेतु वाइट हाउसेज, सर्वेन्ट क्वार्टर्स के कोठे उपरोक्त जमीनों पर उपरोक्त कम्पनी ने बनाये। कम्पनी की सम्पूर्ण जमीन नौन पेड ए है। जिस पर [illegible] १९३८ के प्राविधान लागू हैं।

Singh Yara...
...it Inquiry, Agra
09.4.01

0300 790227

देवेन्द्र नाथ
29 APR 2005

-4-

विदित हो कि सन् १९२० में मे० रू० चौन्द एण्ड कम्पनी की [illegible] अन्य फर्म मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० [illegible] बाद ही और एक आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० ने बधिकरण [illegible] के डिक्रियाँ (कागजात) मै० रू० चौन्द एण्ड कम्पनी के [illegible] ही जारी की । इन डिक्रियों के बाबत दोनों कम्पनियों ने [illegible] २४-२-१९२० को सैटिलमेन्ट डीड निष्पादित हुई । उसकी [illegible] मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० द्वारा [illegible] । तदनुसार [illegible] धारा ७४/२७ मान्यता प्रेषित का [illegible] । जिसमें [illegible] डिग्री दिनांक १०-६-१९३१

25000

पच्चीस हजार रुपये

25000

0300 790228

कोषागार आगरा

25 ... 2005

कोषाधिकारी

आगरा

-o-

के मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स के विरुद्ध दाखिल की । उपरोक्त डिग्री के निष्पादन में एक्जीक्यूशन सं० २०७।३८ दाखिल हुई । जिसमें हीरा लाल खटनी एवं मुन्नीलाल मेहरा रिसीवर नियुक्त हुये जिन्होंने आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० की सम्पत्तियों की नीलामी की । नीलामी में उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने ही सम्पत्तियां खरीद लीं । खरीदी हुई सम्पत्ति में मेरा स्वर्गीय पूज्य पिता जी का हिस्सा ६।२० था ।

ATTESTED

Notary ... Agra

Reg. 09-44-01

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

25000 25000

0300 790229

-८-

विदित हो कि मैसर्स एन्थोनी [illegible] ने अपने सम्पूर्ण सम्पत्तियों के बावत एक वसीयत दिनांक २०-३-१९३५ लिखा दिया। जो माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने उपरोक्त वसीयत पर मि० [illegible] एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। इन एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मैसर्स एन्थोनी [illegible] की सम्पत्तियों को ११।४० हिस्सा बेचने का सौदा मुन्नीलाल [illegible] एवं हीरालाल [illegible] के हक में एक पंजीकृत डीड दिनांक २०-१०-१९७६ द्वारा किया। इन दोनों व्यक्तियों ने उन्नीस लाख रुपया उपरोक्त सौदे के [illegible] में दिया [illegible] इस पंजीकृत डीड को [illegible] डीड दोनों [illegible] ने [illegible] एवं माना।

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 790230

-2-

विदित हो कि माननीय सिविल जज आगरा महोदय के यहाँ [illegible] अपनी सम्पत्तियों के बटवारे के पार्टीशन का दावा संख्या 31/90 [illegible] आदि बनाम [illegible] [illegible] आदि चलाया गया । उपरोक्त मुकदमे में [illegible] [illegible] पक्षकार थी । उपरोक्त [illegible] हीरा लाल पाटनी एवं मुन्नीलाल [illegible] दिनांकित [illegible] के आधार पर उपरोक्त मुकदमा संख्या 31/90 में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो दिनांक [illegible] को सिविल जज आगरा ने मंजूर किया । उपरोक्त मुकदमे में [illegible] डिग्री पारित हुई कमिश्नर आख्या [illegible] माननीय सिविल जज महोदय ने अनुमोदित की । कमिश्नर आख्या के अनुसार हीरालाल पाटनी को [illegible] हिस्सा एवं मुन्नीलाल [illegible] हिस्सा दिया गया ।

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 790231

फणीन्द्र नाथ
29 APR 2005
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

-१०-

विदित हो कि [illegible] मुहल्ला संख्या ३६/४० में हीरालाल पाटनी की थी [illegible] हिस्सा [illegible] में मिला उक्त हिस्से में अन्य [illegible] नंबर ८ [illegible] १३ भी शामिल है। ये कोठी [illegible] नम्बर ४ खसरा संख्या १०३६।३ रकबा [illegible] बीघा [illegible] ग्राम [illegible] परगना व तहसील जिला आगरा की जमीन पर स्थित है। जिसका वर्तमान नगर निगम नम्बर २६/[illegible] में। खसरा संख्या १०३६।३ का पुराना नं० २२५८ है उपरोक्त कोठी [illegible] बोर्ड आगरा में स्थित है। हीरालाल पाटनी का स्वर्गवास दिनांक ५-१२-१९६१ को हुआ उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती प्यारीबाई पाटनी एवं पुत्रगण [illegible] कुमार पाटनी - [illegible] कुमार पाटनी - [illegible] कुमार पाटनी [illegible] उत्तराधिकारी छोड़े। उन उत्तराधिकारियों ने [illegible]

Prakash Agarwal

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 790232

-१२-

[illegible] के [illegible] धारा [illegible]

[illegible] पारस्परिक [illegible]

[illegible] के अनुसार [illegible] नंबर

[illegible] पर [illegible]

[illegible] नं० ११

[illegible] के अनुसार [illegible] कुमार

[illegible] दिनांक २१-११-२००३ [illegible]

[illegible] श्री [illegible] अग्रवाल

[illegible] के नाम है

[illegible]।

ATTESTED

Notary

[illegible]

रुपये 25000

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 790233

-२-

विदित हो कि विक्रेता विजय कुमार पाटनी ने मौजा [illegible] १२२वीं [illegible] ६०० वर्गगज का बैनामा दिनांक २३-२-२००४ को श्री [illegible] अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तमदास अग्रवाल निवासी [illegible] आगरा के निष्पादित कर दिया है । अतः विजय कुमार पाटनी उक्त [illegible] बैनामा के क्रेता ओमप्रकाश अग्रवाल [illegible] निष्पादित करने के लिये विधिवत रूप से [illegible] हैं।

ATTESTED

Kamal Singh Verma
Notary, Agra
Regd. 09 44 01

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

25000 पच्चीस हजार रुपये 25000

-१३-

0300 790234

[illegible]

२१ [illegible] २००१

[illegible]

विदित है कि प्रथमपक्ष के अपनी उक्त [illegible] जमीन [illegible] ३१ [illegible] है [illegible] से [illegible] नहीं है, [illegible] लाभ नहीं है और [illegible] अपनी [illegible] के कारण अपनी उक्त [illegible] जमीन [illegible] बाजार में

Prakash Agarwal

ATTESTED

[illegible] Singh Verma
Notary, Agra
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

पच्चीस हजार रुपये

[illegible] नाथ

23 APR [illegible]

-8-

0300 790235

[illegible] से अधिक कीमत [illegible] देना चाहते हैं इस सम्बंध में प्रथमपक्ष के द्वारा कोठी [illegible] किये जाने पर [illegible] में [illegible] बैनामा करने लिये [illegible] अन्य खरीदारों की अपेक्षा सबसे अधिक कीमत [illegible] रहे हैं जिससे प्रथमपक्ष को पूरा-पूरा लाभ है। अतः प्रथमपक्ष [illegible] [illegible] करने को तैयार है।

Prop Brahash Agarwal

ATTESTED

Comal Singh Verma
Distt Notary, Agra
[illegible] 09 [illegible]

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

25000 RUPEES

03DU 790236

प्रमोद नाथ
25 ... 2005
कोषाधिकारी
आगरा

-8-

अतः प्रथमपक्ष ने, स्वेच्छा तथा मान्यता पूर्वक स्वस्थचित
मन बुद्धि होश से बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के कुल सौदा
रकम पर उक्त कृषि जमीन में समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ
नामांकन व मुकदमा निर्धारण के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी

P.m. Prakash Agarwal

ATTESTED
Kamal Singh Verma
Notary, Agra
... 09 44 01

25000

पच्चीस हजार रुपये

25000

0300 790237

निष्पादित पत्र

29 [illegible] 2015

[illegible] अधिकारी

आगरा

-१६-

[illegible] आदि के [illegible] से विक्रेता [illegible] रकम ४०,००,०००)
[illegible] लाख रुपया [illegible] लाख रुपया [illegible]
श्री ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री राधाराम निवासी ४२ गाफ रोड
आगरा [illegible] के गुट [illegible] से [illegible]
[illegible]।

[illegible]

Prakash Agarwal

ATTESTED

Kamal Singh Verma
Distt. Notary, Agra
Reg. 09 44 01

[redacted]

-१८-

0300 790238

प्रथमपक्ष ने [illegible] कुल रकम रुपया [illegible] तीन [illegible] [illegible] [illegible] मैं श्रीराम [illegible] बैंक [illegible] आगरा [illegible] नम्बरी [illegible] दिनांक ८-३-२००५ तादादी २,५०,००० रुपया व [illegible] नम्बरी [illegible] दिनांक ८-३-२००५ तादादी १०,००,०००) रुपया व [illegible] नम्बरी [illegible] दिनांक ३०-४-२००५ तादादी [illegible] रुपया [illegible] कुमार पाटनी दस्तखत [illegible] [illegible] [illegible] लेखा [illegible] से [illegible] है [illegible] स्वीकार किया इस तरह प्रथमपक्ष को [illegible] कोई रुपया

[signature]

Pr. Prakash Agarwal

[stamp] [illegible]

[illegible] Distt. Notary, Agra
[illegible] 09 44 01

03DD 790239

-१८-

मामला बाकी नहीं है और न भविष्य में होगा । विक्रेता ने बेची
गई जमीन पर से अपना कब्जा व दखल छोड़कर नाम व सीमाओं के
अनुसार विक्रयपत्र को कब्जा व दखल करा दिया और विक्रयपत्र
को बेची गई जमीन का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा मुंह
दाखिल ... में दिया । अब विक्रयपत्र को पूरा अधिकार है कि वह उक्त

Brabash Agarwal

Kunal Singh Yadav
Distt. Notary, Agra

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

25000

पच्चीस हजार रुपये

25000

0300 790240

बेचेगी नाम
29 APR 2005
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

-१८-

जमीन के पूर्णतया मालिक व काबिज है चाहे जैसे लाभ उठावे क्रय-विक्रय आदि करें और निर्माण आदि करावे और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावे और अपना नामांकन बेची गई जायदाद का पृथक कर निर्धारण सम्बन्धित विभागों में करावे प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान

[illegible signature]

[illegible signature] Prakash Agarwal

[illegible] Verma
Civil Notary, Agra
[illegible] 09-04-01

25000 रुपये

पच्चास हजार रुपये

0300 790240

-२२-

[illegible] चाहे जैसे लाभ उठावे [illegible] [illegible] और निर्माण आदि करावे और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावे और उक्त नामांकित बेची गई जायदाद का पृथक कर [illegible] समस्त विभागों में कराने [illegible] अपना [illegible] प्रदान

[illegible] Notary, Agra

0300 790241

-२०-

[illegible] करेंगे। [illegible]
[illegible] करेंगे।

Bhaskar Agarwal

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-२३-

[illegible] किसी प्रकार का [illegible] [illegible] बाधा व झगड़ा [illegible] है [illegible] जमीन [illegible] [illegible] [illegible] जवाबदेही व जिम्मेदारी व [illegible] [illegible] रहेगा व [illegible]

Prakash Agarwal

Scanned by CamScanner

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पांच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] नाथ

25 APR [illegible]

4150

जायदाद पर विक्रेता प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष के है और वायदा होगा और उनके प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष को कभी कुछ उजर न होगा। उक्त जमीन बिल्कुल खाली है और उस पर न तो कोई निर्माण है और प्रथमपक्ष के द्वारा बनाकर दिये जाने है। इस बैनामा का कुल खर्चा द्वितीयपक्ष के जिम्मे है।

WITNESS

[illegible], Agra

Scanned by CamScanner

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

-२-

[illegible] सीमा इस प्रकार है -
[illegible] -
[illegible]
[illegible] (१०७६ x ३६) [illegible] है जो मंजूर है।

[illegible] Agarwal

[illegible]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. Rs 5000

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-२१-

अतः यह [illegible] दस्तावेज़ [illegible] ने लिख दिया कि [illegible] [illegible] काम आवे । नोट-फार्म ६० की धारा २ के [illegible] व १९७६ [illegible] की धारा [illegible] फार्म ६२ की धारा ५ के (नोटरी व फार्म ६ की धारा ६ के [illegible]) हस्ती है जो [illegible] मंजूर है ।
दिनांक [illegible] १०(दस) अप्रैल सन् २००५ई।

[illegible signature]

STED

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

23 APR 2005

Rishi Chand Jain

Prakash Agarwal

Scanned by CamScanner

30-4-92

स्टाम्प विक्रय की तिथि
स्टाम्प क्रय कर्ता का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि

स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस की अवधि 31.3.20..
सदर तहसील,

SITE PLAN OF LAND PART OF PROP. No. 21/270 AT
JIWANI MANDI CHHATTA WARD AGRA
OWNER - SRI VINAY KUMAR PATNI
SOLD TO :- SRI OM PRAKASH AGARWAL
SHOWN IN RED COLOUR.
AREA - 1749.31 SQMTS.

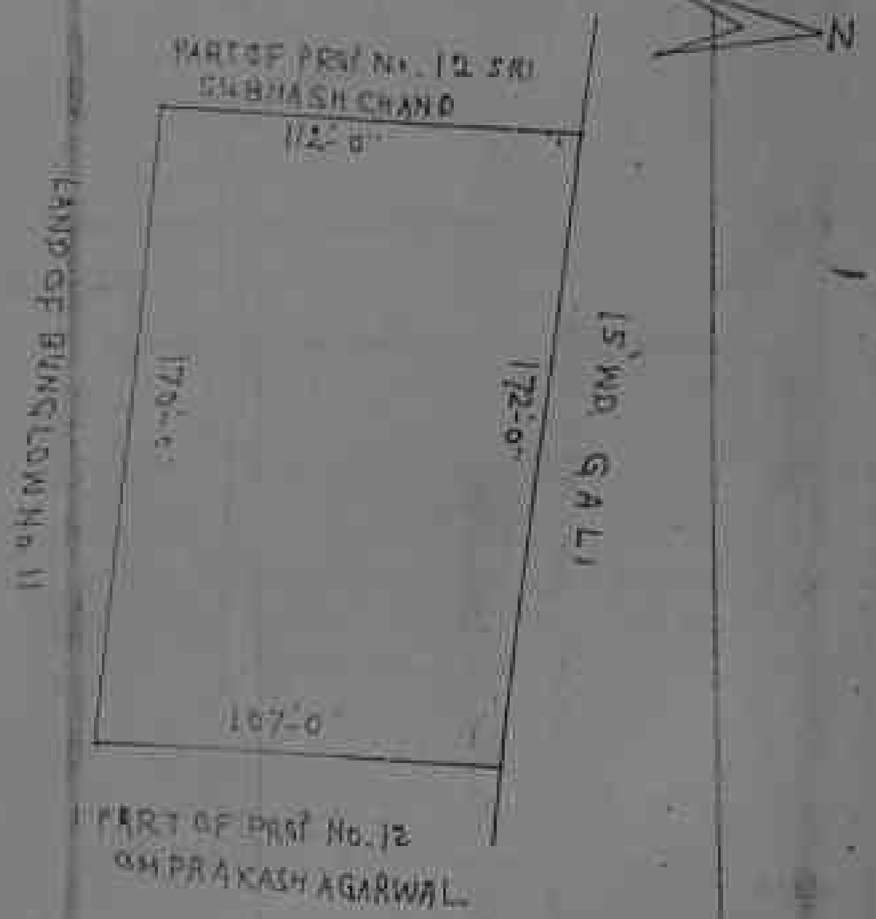

Om Prakash Agarwal

TRACED BY

MUKESH CHAND
Surveyor/D. Man
19/66, Bundu Katra, AGRA

ORIGINAL

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 790571

उक्त स्टाम्प अधिनियम सन् १९५८ की धारा ३(१०) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्प किया -

– [illegible]

– [illegible] – (१०,००,०००) दस लाख रुपया

– [illegible] नम्बर [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] **ATTESTED**
[illegible] का आधार है -

For [illegible] BUILD CONS. PVT. LTD.

DIRECTOR

[illegible] Gopal [illegible] Verma
[illegible] Notary [illegible]

(S.P. Singh)
Cashier
Agra Treasury

25000

25000

25000

25000

25000

पच्चीस हज़ार रुपये

0100 790572

[illegible]
-4 MAY 2005
[illegible], आगरा

-२-

दिशा	नाप	सीमा
पूरब-	१६० फुट	शेष खतौनी [illegible] नम्बर १२ [illegible]
पश्चिम-	१६० फुट	[illegible]
उत्तर-	५० फुट	[illegible] १५ फुट चौड़ी [illegible] [illegible] आदि [illegible] है
दक्षिण-	५० फुट	खतौनी [illegible] नम्बर ११ [illegible] दोनों ओर से कोई [illegible] नहीं है और न [illegible] होगी

- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित [illegible] दर
  [illegible] - ३०००) रुपया प्रति [illegible]
  [illegible] - ३०००) रुपया प्रति [illegible]
- उक्त दर के अनुसार इस विक्रय पत्र ५५,३५,०००) रुपया पर [illegible] प्रतिशत की दर से १,५३,४००) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-0-0-0-

[illegible] PVT. LTD.

DIRECTOR

ATTESTED

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

प्रदीप [illegible]
4 MAY 2005
[illegible] आगरा

-२-

0300 790573

[illegible] बिल्ड [illegible] प्रा०लि० द्वारा वर्तमान निदेशक व अधिकृत प्रतिनिधि व पत्नाधारी श्री सुभाषचन्द अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास अग्रवाल निवासी एफ-४५६ कमलानगर [illegible] पार्क आगरा-विक्रेता गण प्रथमपक्ष

।व।

ओमप्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] निवासी ४२ [illegible] रोड आगरा छावनी आगरा ———————— क्रेता द्वितीयपक्ष है।

विदित है कि प्रथमपक्ष उक्त [illegible] मिनुमेला [illegible] [illegible] नम्बर २१।२०० [illegible] [illegible] [illegible] पार्क [illegible] आगरा [illegible] ४११ " [illegible] अथवा ४१० " [illegible] के [illegible] पूर्णतः मालिक व काबिज है कि [illegible] प्रथमपक्ष ने [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] २३-२-२००४ व [illegible] २३-२-२००४ [illegible] [illegible] [illegible] नम्बर ७१२ व [illegible] उप निबंधक [illegible] आगरा के [illegible] [illegible] प्राप्त किया और मालिक काबिज है।

ATTESTED

For [illegible]

DIRECTOR

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

-4-

0300 790574

विदित हो कि प्रथमपक्ष की उक्त भूमि जमीन में अन्य कोई [illegible] या [illegible] या साझेदार आदि किसी प्रकार का [illegible] कि भी प्रथमपक्ष [illegible] उक्त भूखण्ड [illegible] [illegible] प्रत्येक प्रकार के ऋण-विक्रय-दान-[illegible] [illegible] के विवाद आदि-आदि से [illegible] कोई भाग [illegible] या राजकीय आरक्षण [illegible] नहीं है और न किसी भी [illegible] के अतिरिक्त भूमि घोषित हुआ है और न अधिग्रहित हुआ है और न कोई मुआवजा प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है और इसकी मिलकियत के कोई कागजात किसी तरह [illegible] नहीं किए गये हैं।

विदित हो कि पूर्व समय में [illegible] जिला आगरा की भूमि [illegible] पर [illegible] मिल कॉटन [illegible] मिल, [illegible] स्पिनिंग मिल [illegible] मिल सन् १९०९ से [illegible] कम्पनी के द्वारा संचालित किये जा रहे थे। [illegible] कम्पनी के मालिकान [illegible] कम्पनी [illegible] है। उपरोक्त [illegible] कम्पनी [illegible] कम्पनी की सम्पूर्ण जमीन [illegible] है। [illegible] सीलिंग टेनेन्सी एक्ट १९३९ से [illegible] है।

[illegible; stamped/overwritten text in right margin: "... Agra ..."]

For [illegible] BUILD [illegible] PVT. LTD.

DIRECTOR

[illegible signature]

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 790575

-4-

विदित हो कि सन् १९२० में मै० ए० जौन्स एण्ड कम्पनी की [illegible] सम्पत्तियाँ और कुछ अन्य फर्मों मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० अधिग्रहित कर ली थी, इस आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० ने अधिग्रहण के समय [illegible] डिबेंचर्स (बनाम) मै० ए० जौन्स एण्ड कम्पनी के मालिकान को जारी किये। इन डिबेंचर्स के बाबत दोनों कम्पनियों के बीच [illegible]-१९२० को डिबेंचर ट्रस्ट डीड निष्पादित हुई। उसकी [illegible] अधीन मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० द्वारा [illegible]। [illegible] माननीय सिविल जज आगरा में वाद दाखिल हुआ। जिसमें अंतिम डिक्री दिनांक १०-६-१९३१ को मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स के विरुद्ध पारित की। उपरोक्त डिक्री के निष्पादन में इजराय सं० २००/३१ दाखिल हुई। जिसमें हीरालाल पाटनी एवं मुन्नीलाल मेहरा रिसीवर नियुक्त हुये जिन्होंने आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० की सम्पत्तियाँ की नीलामी की। नीलामी में उपरोक्त जौन्स [illegible] ने भी सम्पत्तियाँ खरीद ली। खरीदी हुई सम्पत्ति में चाहर दीवारी मुहाफिज जौन्स का हिस्सा ६/२० था।

विदित हो कि मै० चाहर दीवारी मुहाफिज जौन्स व अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तियों के बाबत के मुकदमा दिनांकित २०-३-१९३४ निष्पादित की। माननीय [illegible] उच्च न्यायालय में उपरोक्त मुकदमा पर मि० [illegible] आस्ट्रेलिया [illegible] एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। इन एडमिनिस्ट्रेटर [illegible] ने चाहर दीवारी मुहाफिज जौन की सम्पत्तियों का ९६/१८० हिस्सा [illegible] का [illegible] मुन्नीलाल मेहरा एवं हीरालाल पाटनी [illegible]

For [illegible] CO. [illegible] Ltd.

[illegible]

Director

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES FIFTEEN THOUSAND
Rs. 15000
भारत INDIA
Rs. 15000

-4-

0288 523689

पारिवारिक डीड दिनांकित २०-१०-१९७६ द्वारा किया जिसे इन दोनों व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से उपरोक्त [illegible] के [illegible] में [illegible] किये इस पारिवारिक डीड को [illegible] डीड दोनों [illegible] ने [illegible] एवं माना है।

विदित है कि माननीय सिविल जज आगरा महोदय के यहाँ मैसर्स एस० नेमिचन्द एण्ड कम्पनी और कम्पनियों के सम्बन्ध में पार्टीशन का दावा संख्या ३६/७० बनाम [illegible] [illegible] बनाम [illegible] मुकदमा [illegible] आदि [illegible] । उपरोक्त मुकदमे में सम्मीलित पार्टियाँ एवं कम्पनी की [illegible] की । उपरोक्त [illegible] हीरालाल पाटनी एवं मुन्नी लाल [illegible] के पारिवारिक डीड दिनांकित २८-१०-७६ के आधार पर उपरोक्त मुकदमा संख्या ३६/७० में [illegible] करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो दिनांक [illegible] को सिविल जज आगरा ने मंजूर किया । उपरोक्त मुकदमे में अंतिम डिक्री पारित हुई । अभिकमर [illegible] की माननीय सिविल जज महोदय ने अनुमोदित की । [illegible] के अनुसार हीरा लाल पाटनी को [illegible] एवं मुन्नीलाल [illegible] को [illegible] दिया गया ।

विदित है कि पार्टीशन वाला मुकदमा संख्या ३६/७० में हीरालाल पाटनी को [illegible] [illegible] हिस्सा [illegible] में [illegible] जय [illegible] में [illegible] संख्या ८ लगायत १० भी शामिल है । ये [illegible] संख्या ५ [illegible] १७२८.१३ [illegible] बीमा [illegible] हिस्सा मुताबिक

ATTESTED

For [illegible] LTD
DIRECTOR

[illegible]

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs.5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-2-

[illegible] ग्राम पंचायत [illegible] व तहसील व जिला आगरा की अभिलेख [illegible] वर्तमान नगर निगम नम्बर २९/२०० है । [illegible] पुराना नं० २२४८ है उपरोक्त कोठी [illegible] आगरा में स्थित है। श्री[illegible] पाटनी का स्वर्गवास दिनांक [illegible] को हुआ उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती [illegible] पाटनी एवं पुत्रगण [illegible] कुमार पाटनी व [illegible] पाटनी व [illegible] कुमार पाटनी वारिस उत्तराधिकारी छोड़े । इन उत्तराधिकारियों [illegible] के अतिरिक्त उपरोक्त कोठी के बाबत [illegible] में एक [illegible] पारिवारिक समझौता [illegible] रूप से [illegible] किया । उक्त पारिवारिक समझौता के अनुसार [illegible] नम्बर १२ [illegible] कुमार पाटनी के हक में आवंटित हुआ है, वही उस पर [illegible] काबिज [illegible] चले आ रहे है । उल्लेखनीय है कि [illegible] नं०११ और उसकी [illegible] जमीन समझौता के अनुसार श्रीमान [illegible] कुमार पाटनी के हक में आया । जिसकी बाबत २९-११-२००३ को पंजीकृत बैनामा द्वारा श्री [illegible] अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] अग्रवाल के हक में किया जा चुका है [illegible] के नाम से मशहूर है ।

[illegible] है कि [illegible] अपनी [illegible] जमीन [illegible]

४१०. [illegible] कि श्री [illegible] मानसिक [illegible] हालत [illegible] गये हैं, कोई [illegible] नहीं है और वह अपनी [illegible] आवश्यकताओं [illegible]

DSS BUILD CONS PVT. LTD.

DIRECTOR

Notary

Scanned by CamScanner

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

[illegible] २८ [illegible] 2005 [illegible] अधिकारी

[illegible] उक्त भूमि जमीन बेच बाबत [illegible] से अधिक से अधिक कीमत [illegible]
ग्राहक है एवं [illegible] में प्रथमपक्ष कम्पनी ने अपने स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा
[illegible] निदेशक श्री [illegible] अग्रवाल केा अधिकृत प्रतिनिधि व हस्ताक्षरी
नियुक्त कर दिया है। अतः उनके द्वारा [illegible] किये जाने पर [illegible]
से केवल द्वितीयपक्ष उक्त भूमि [illegible] उपयोगी [illegible] बाजार के अन्य
खरीददारों की अपेक्षा सबसे अधिक कीमत अदा कर चुके हैं कि जिसमें प्रथमपक्ष
का पूरा-पूरा लाभ है अतः प्रथमपक्ष कम्पनी उक्त भूमि जमीन केा द्वितीयपक्ष
के हक में बेचने केा तैयार है।

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थचित्त मन बुद्धि
[illegible] से बिना [illegible] किसी दबाव [illegible] के कुल [illegible] उपरोक्त
जमीन केा [illegible] व अधिकार व हित व लाभ व [illegible] व [illegible]
निर्माण के अधिकारों सहित बिना कोई किसी अधिकार बाकि के बाजारी
कीमत के मुताबिक व रकम १०,००,०००) दस लाख रुपया कि आधे जिसके
आधे लाख रुपया होते हैं [illegible] श्री [illegible] अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम
निवासी ४२ [illegible] रोड [illegible] उक्त [illegible] द्वितीयपक्ष के
हक [illegible] दिया है।

For [illegible] PVT. LTD.

DIRECTOR

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

२०००रु. | ₨ 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

...ीय भारतीय
2 Mar 2005
...कारी, आगरा

प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया नीचे लिखे चैक के द्वारा द्वितीयपक्ष से वसूल पाकर मुजरा लिया इस तरह प्रथमपक्ष का अब कुछ कोई रुपया पाना बाकी नहीं रहा और न बाकी होगा। प्रथमपक्ष ने बेची गई जमीन पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर नाप व सीमाओं के अनुसार द्वितीयपक्ष को कब्जा व दखल करा दिया और द्वितीयपक्ष को बेची गई जमीन का मालिक मुस्तकिल व काबिज बना दिया तथा शुद्ध टायटिल दे दिया। अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त जमीन के हैसियत मालिक काबिज के भांति जैसे लाभ उठावे इस्तेमाल आदि करे और निर्माण आदि करावे और चाहे जिस तौर इस्तेमाल में लावे और अपना नामांतरण बेची गई जायदाद का मुहकमा दाखिल खारिज सम्बन्धित विभागों में करावे प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान करेंगे आज तक के कुल बकाया टैक्स-मालगुजारी आदि यदि कोई होंगे तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।

यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी प्रकार का बेची गई जायदाद के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई बाधा व झगड़ा द्वितीयपक्ष से करे और उसी कारण या प्रथमपक्ष के त्रुटिपूर्ण टायटिल से कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से बेची गई जमीन का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी [illegible]

For [illegible] CONSTRUCTION PVT. LTD.
[signature]
DIRECTOR

[signature] Rahul Agarwal

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००० रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

[illegible stamp] MAY 2003

-१०-

[illegible] है और [illegible]
[illegible] और [illegible] है और [illegible]
[illegible] है और [illegible] कोई [illegible] है और
[illegible] है। [illegible]
[illegible] है - [illegible] - [illegible]
[illegible] - [illegible] ।

[illegible] PVT. LTD.

[signature]

DIRECTOR

[signature]

ATTESTED

[signature]

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-२२-

प्रमाणपत्र मैं [illegible] रुपया [illegible] [illegible] कम्पनी [illegible] [illegible] ६/३३६ [illegible] मार्केट [illegible] आगरा दिनांक ५-५-२००५ लगभग १०,००,०००) रुपया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] पूर्ण [illegible] से प्राप्त किया ।

For [illegible] PVT. LTD.

DIRECTOR

[illegible]

ATTESTED

Kamal Singh Verma
Distt. Notary, Agra
Reg. No. 44

INDIA NON JUDICIAL

Rs 500

FIVE HUNDRED RUPEES

-४२-

[illegible] यह नक्शा [illegible] मकानात के [illegible]
[illegible] । नोट- [illegible] १० [illegible] ५५
[illegible] धारा ८ [illegible] है व [illegible] २ [illegible]
[illegible] धारा २ [illegible] (ए) व धारा ६
[illegible] धारा १८ [illegible] है व [illegible] १ [illegible]
[illegible] के बीच [illegible] है [illegible] मंजूर है।
[illegible] दिनांक ५ (पांच) [illegible] सन् २००४ई० । [illegible] -
[illegible]
[illegible]

For PEE ESS BUILD CONS PVT. LTD.

DIRECTOR

ATTESTED

DIRECTOR

৪

পানিহাটী অমরেন্দ্র নাথ ৪।।

13-5-51

311/556

1352

[illegible] BUNGLOW No. 12 AT
JIWANI MANDI AGRA
OWNER - SRI SUBHASH CHAND AGARWAL
SOLD TO - SRI OM PRAKASH AGARWAL
SHOWN IN RED COLOUR.
AREA - 510.35 SQMTS.

For PRESS BUILD CONS. PVT. LTD.
DIRECTOR

Om Prakash Agarwal

MUKESH CHAND
Surveyor/D. Man
164, Sundu Katra, AGRA.

ORIGINAL.

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

[illegible] 23 APR 2005 मुख्य कोषाधिकारी आगरा

0300 312521

उ०प्र० स्टाम्प अधिनियम सन् १८९९ की धारा २(१०) व सूची १-बी के आर्टिकल-२३ के अनुसार स्टाम्पित-

- खुला भूखण्ड
- विक्रय धनराशि - ८,००,०००) आठ लाख रुपया
- एक किता खुला भूखण्ड [illegible] नम्बर पुराना १७३६/३ नया २२५८ [illegible] राम रोड नम्बर ५), [illegible] नम्बर २१/२७० [illegible] वार्ड [illegible] आगरा [illegible] ४५A '४४ [illegible] २८८ '२१ [illegible] में दी जाती है [illegible] और ५० मीटर [illegible] पुराने [illegible] इस प्रकार है -

ATT [illegible]

Komal Singh Verma

Notary

11.5000

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000 रु

-२-

03CC 312525

दिशा	नाप	सीमा
पूरब-	१०७ फुट	खाली जगह एवं बाद बोकिनामण्डी रोड
पश्चिम-	१०७ फुट	हिस्सा जमीन खसरा नम्बर बारह
उत्तर-	३०फुट	यहाँ १५ फुट चौड़ी एक रास्ता की निकास आदि इस भूखण्ड के है
दक्षिण-	३० फुट	जमीन खसरा नम्बर ग्यारह [illegible] शेष इसके दोनों ओर से कोई भी आवागमन रास्ता नहीं है और न भविष्य में कायम होगा

- जिलाधिकारी आगरा द्वारा स्टाम्प के लिये घोषित मौजूदा दर -
  पटवारन - १२००) रुपया प्रति वर्गमीटर
  बोदलामण्डी - २५००) रुपया प्रति वर्गमीटर
  कोर्नर पर दस प्रतिशत अतिरिक्त
- उक्त दर के अनुसार इस विक्रयपत्र पर ११,५०,०००) रुपया पर दस प्रतिशत की दर से [illegible]) रुपया का स्टाम्प अदा किया गया है।

-0-0-0-

ATTESTED

चूँकि विनय कुमार पाटनी पुत्र स्व० श्री हीरालाल पाटनी निवासी [illegible] गाम रोड सदर बाजार छावनी आगरा ——— विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000

23 APR 2005

-३-

03CC 312526

(४)

(प्रथमपक्ष)

[illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी [illegible] रोड आगरा [illegible] ---------- द्वितीयपक्ष है।

विदित हो कि प्रथमपक्ष उक्त [illegible] मिलकुला मौजा [illegible], मिलकुला आराजी नम्बर २१।२७० स्थित [illegible] मौजा [illegible] मुस्तमील हल्का [illegible] आगरा [illegible] २६८ [illegible] वर्गमीटर के अकेले पूर्णतः मालिक काबिज व रिकॉर्डेड ओनर हैं। अन्य कोई हिस्सेदार या साझीदार या भागीदार आदि किसी प्रकार का नहीं है कि श्री प्रथमपक्ष को उक्त भूखण्ड को बेचने आदि के [illegible] तथा उक्त भूखण्ड बाबत का प्रत्येक प्रकार के [illegible]-विक्रय-दान-[illegible]-[illegible]-[illegible] के [illegible] आदि-आदि [illegible] है तथा उक्त कोई भाग [illegible] या [illegible] का नहीं है और न किसी भी [illegible] भूमि [illegible] हुआ है और न [illegible] हुआ है और न कोई अधिकार प्रथमपक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है और उसको [illegible] के कोई [illegible] किसी भी [illegible] या [illegible] आदि से नहीं किये गये हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 Rs — INDIA NON JUDICIAL — Rs 20000 Rs

कोषागार [illegible]
23 APR 2005
मुख्य कोषाधिकारी
आगरा

0JCC 312527

-2-

विदित है कि पूर्व समय में मौजा [illegible] मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा की कुछ [illegible] पर सीमेन्ट लिमिटेड लि० [illegible] लिमिटेड लि०, कॉन्टीनेन्टल लिमिटेड लि०, सीमेन्ट [illegible] लिमिटेड लि० एवं सीमेन्ट [illegible] लि० सन् १९०९ से मैसर्स एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी के द्वारा संचालित की जा रही थी। इस कम्पनी के [illegible] सीमेन्ट प्लान्ट, [illegible] सीमेन्ट एवं [illegible] है। उपरोक्त मिलों के कारोबार हेतु [illegible], सीमेन्ट [illegible], उपरोक्त जमीनों पर उपरोक्त कम्पनी ने बनाये। कम्पनी की सम्पूर्ण जमीन लीज होल्ड की है। जिस पर यूनाइटेड प्रोविन्स टेनेन्सी एक्ट १९३९ के प्राविधान लागू हैं।

विदित है कि सन् १९७० में ए० सी० सीमेन्ट एण्ड कम्पनी की समस्त सम्पत्तियों को [illegible] फर्म मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० अधिग्रहीत कर ली और इस आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० ने अधिग्रहण के एवज में [illegible] (लगभग) ए० सी० सीमेन्ट एण्ड कम्पनी के [illegible] को अदा किये। इन [illegible] के बाबत दोनों कम्पनियों के मध्य २९.१०.१९७० को [illegible] हुए। [illegible] का उल्लेख मैसर्स आगरा यूनाइटेड मिल्स लि० द्वारा [illegible]। तदनुसार [illegible] ८।२७ [illegible] में दाखिल हुआ। [illegible] दिनांक १०-६-१९८१

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

-2- 03CC 312538

के [illegible] आगरा, यूनाइटेड मिल्स के विरुद्ध पारित हुई थी। उपरोक्त डिक्री के निष्पादन में इजराय सं0 [illegible] दाखिल हुई। जिसमें श्री [illegible] लाल पाटनी एवं चुन्नीलाल मेहरा रिसीवर नियुक्त हुये जिन्होंने आगरा यूनाइटेड मिल्स लि0 की सम्पत्तियों की नीलामी की। नीलामी में उपरोक्त [illegible] कम्पनी ने ही सम्पत्तियाँ खरीद लीं। खरीदी हुई सम्पत्ति में मिल्स सम्बन्धी [illegible] का हिस्सा ६।२० था।

विदित है कि मिल्स सम्बन्धी [illegible] ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तियों [illegible] दिनांकित २०-३-१९३३ निष्पादित की। माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले पर श्री0 [illegible] एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। इन एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मिल्स सम्बन्धी [illegible] की सम्पत्तियों का ६८।४० हिस्सा [illegible] चुन्नीलाल मेहरा एवं हीरालाल पाटनी के हक में एक पंजीकृत डीड दिनांकित २०-१०-१९४६ द्वारा किया जिसे इन दोनों व्यक्तियों ने [illegible] उपरोक्त सौदे के सम्बन्ध में [illegible] एक पंजीकृत डीड [illegible] एसाइनमेन्ट डीड दोनों पक्षों ने [illegible] एवं माना।

विदित है कि माननीय [illegible] आगरा महोदय के [illegible] [illegible] सम्पत्तियों के [illegible] संख्या ३६।४० [illegible] मिल्स सम्बन्धी [illegible] । उपरोक्त कम्पनी ने [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-६-

अध्यक्षी की मलकियत थी । उपरोक्त [illegible] मानी हीरालाल पाटनी एवं मुन्नीलाल मेहरा ने मौखिक डीड दिनांकित २८-१०-४६ के आधार पर उपरोक्त मुकाम संख्या २६/४० में पत्तादार करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो दिनांक ९६-७-४४ को [illegible] आगरा ने मंजूर किया । उपरोक्त मुकदमे में [illegible] डिगरी पारित हुई । [illegible] आदेश [illegible] गई जो [illegible] ने अनुमोदित की । कमिश्नर आदेश के अनुसार हीरालाल पाटनी [illegible] दो बाला हिस्सा एवं मुन्नीलाल मेहरा [illegible] दो बाला हिस्सा दिलाया गया ।

[illegible] पाटनी [illegible] मुकाम संख्या २६/४० में हीरालाल पाटनी [illegible] हिस्सा बटवारे में मिला उस हिस्से में अन्य [illegible] खसरा नम्बर ८ लगभग १२ भी शामिल है । ये कोठी प्लॉट नम्बर ५ [illegible] संख्या १०३८।३ [illegible] पड़ताल [illegible] तहसील जिला आगरा [illegible] है । जिसका [illegible] नगर निगम नम्बर २६/२३० है । [illegible] संख्या १०३८।३ [illegible] २९५८ है । उपरोक्त कोठी [illegible] आगरा में स्थित है । हीरालाल पाटनी की मृत्यु दिनांक ५-१२-१९६१ को हुई । उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी श्रीमती [illegible] पाटनी एवं पुत्रगण-

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs.5000

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

-5-

25 APR 2005

निर्मल कुमार पाटनी – विमल कुमार पाटनी – विनय कुमार पाटनी बतौर उत्तराधिकारी छोड़े। इन उत्तराधिकारियों ने अपनी सम्पत्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त कोठी के बाबत दिसम्बर १९८९ में एक मध्यस्थता पारिवारिक समझौता प्रपत्र पारिवारिक रूप में निष्पादित किया। उक्त पारिवारिक समझौता के अनुसार कोठा नम्बर १२ विनय कुमार पाटनी के हक में आवंटित हुआ है, वही इस पर बतौर मालिक काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोठा नं० १२ और उसकी कुछ जमीन समझौता के अनुसार श्रीमान निर्मल कुमार पाटनी के हक में आया। जिसे तारीख २१-११-२००३ को रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा श्री [illegible]चन्द अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] अग्रवाल के हक में किया जा चुका है। जो कि आगरा [illegible] के नाम से मशहूर।

विदित हो कि [illegible] विनय कुमार पाटनी ने कोठा नम्बर १२ की जमीन [illegible] करीब ६०० वर्गगज का बैनामा दिनांक २३-२-२००४ को श्री गुलाबचन्द अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] अग्रवाल निवासी एफ-६६९ कमलानगर आगरा को निष्पादित कर दिया है। अतः विनय कुमार पाटनी उक्त [illegible] बैनामा को श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के हक में निष्पादित करने के लिये विधिक रूप से उत्सुक हैं।

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

25 APR 2005

-2-

विदित हो कि प्रथमपक्ष की अपनी उक्त खुली जमीन [illegible] २८८ [illegible] ... से कोई विशेष लाभ नहीं है और वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के [illegible] अपनी उक्त खुली जमीन को बाजार से अधिक से अधिक कीमत पर बेचना चाहते है। इस सम्बंध मे प्रथमपक्ष के द्वारा [illegible] पर [illegible] मे केवल द्वितीयपक्ष अभी [illegible] उपयोगी पाकर बाजार [illegible] खरीदारो की अपेक्षा सबसे अधिक कीमत अदा कर रहे हैं जिसमे प्रथमपक्ष का पूरा-पूरा लाभ है। अतः प्रथमपक्ष अपनी उक्त खुली जमीन को द्वितीय पक्ष के हक मे बेचने को तैयार है।

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि [illegible] के बिना [illegible] [illegible] नाबालिग के कुल [illegible] उक्त खुली जमीन को समस्त स्वत्व व अधिकार व [illegible] [illegible] [illegible] के अधिकारों सहित बिना [illegible] अधिकार [illegible] से आधारी कीमत मे [illegible] व रुपया ८,००,०००) आठ लाख रुपया जिसके आधे चार लाख रुपया होते हैं बदले श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] निवासी ४२ [illegible] रोड,आगरा [illegible] द्वितीयपक्ष के [illegible] बेच [illegible] और बेचदी।

[illegible]

प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया अदा(र [illegible]) चैक नं० नम्बरी ००४२२ कारपोरेशन बैंक १३३४ हॉस्पिटल मार्केट [illegible] आगरा दिनांक २६-४-२००५ तादादी ८,००,०००) रुपया बजरिये [illegible] दस्तखती ओमप्रकाश अग्रवाल के मार्फत रजिस्टरी बैनामा हाजा के द्वितीयपक्ष से वसूल पाना स्वीकार किया इस तरह प्रथमपक्ष का अब कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और न भविष्य में होगा । प्रथमपक्ष ने बेची गई जमीन पर से अपना कब्जा व दखल हटाकर नाप व सीमाओं के अनुसार द्वितीयपक्ष का कब्जा व दखल करा दिया और द्वितीयपक्ष को बेची गई जमीन का मालिक मुस्तकिल व काबिज करा दिया तथा शुद्ध टाइटिल दे दिया। अब द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त जमीन के बतौर मालिक व काबिज के भांति जैसे चाहे उठावें दान-विक्रय आदि करें और निर्माण आदि करावें और भाड़े पर दें और बंधक में रखें और अपना नामांकन व बेची गई जायदाद का [illegible] सम्बन्धित विभागों में करावें प्रथमपक्ष अपना सहमति प्रदान करेंगे । आज तक के कुल बकाया टैक्स-चार्ज आदि यदि कोई होंगे तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।

यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी प्रकार का बेची गई जमीन के सम्बंध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा द्वितीयपक्ष से करे और उसके कारण या प्रथमपक्ष के [illegible] टाइटिल के अभाव या दोष या [illegible] पूर्ण या आंशिक रूप से बेची गई जमीन का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन [illegible] की जिम्मेदारी व [illegible] व हर्जा व खर्चा [illegible] व किसी [illegible] व [illegible] का [illegible] प्रथमपक्ष के है और [illegible] होगा और [illegible] प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष को कभी कोई उज्र न होगा । उक्त जमीन बिल्कुल खाली है और उस पर न तो कोई निर्माण है और न पेड़ खड़े हैं और न प्रथमपक्ष के [illegible] हैं । यह बैनामा का [illegible] द्वितीयपक्ष के [illegible] है।

इन पक्षों के आधार हस्ताक्षर किए अंगूठा इस प्रकार है -
विनय कुमार पाटनी - ए बी जे पी पी - ४२६६-एफ
ओमप्रकाश अग्रवाल - ए ए पी पी ए - [illegible]

अतः यह बैनामा बक्क विक्रेता क्रेतागण के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। नोट- पेज १ की सतर १० में अर्थात् व २८ २९ के बीच का शब्द कटा है व पेज ३ की सतर २ में ओमप्रकाश व पुत्र के बीच निशान बनाकर (अग्रवाल) बढ़ाया सतर [illegible] है व पेज ४ की सतर ४ में (बी) व आखिरी सतर में (१०-६-१९३९) व पेज ७ की सतर १३ में [illegible] व करीब के बीच का शब्द कटा है पेज ८ की सतर २९ में उम्र व [illegible] के बीच का शब्द कटा है जो [illegible] मंजूर है। लेख दिनांक २६-०४-२००५ई०।
मसविदा - [illegible] हनुमानप्रसाद कौशिक निवासी [illegible] आगरा।
टाइपकर्ता [illegible] आगरा। [illegible]

[illegible]
Ravi
[illegible]

साक्षी श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
[illegible]

साक्षी श्री [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
[illegible]

29-4-05

SITE PLAN OF LAND KHASRA No. 2258 N.N No. 21/270
JIWANI MANDI AGRA
OWNER:- SRI VINAY KUMAR PATNI
SOLD TO:- SRI OM PRAKASH AGARWAL
SHOWN IN RED COLOUR
AREA: 356.66 SQ.YDS

Om Prakash Agarwal

TRACED BY

MUKESH CHAND
Surveyor/D. Man

TRUE COPY
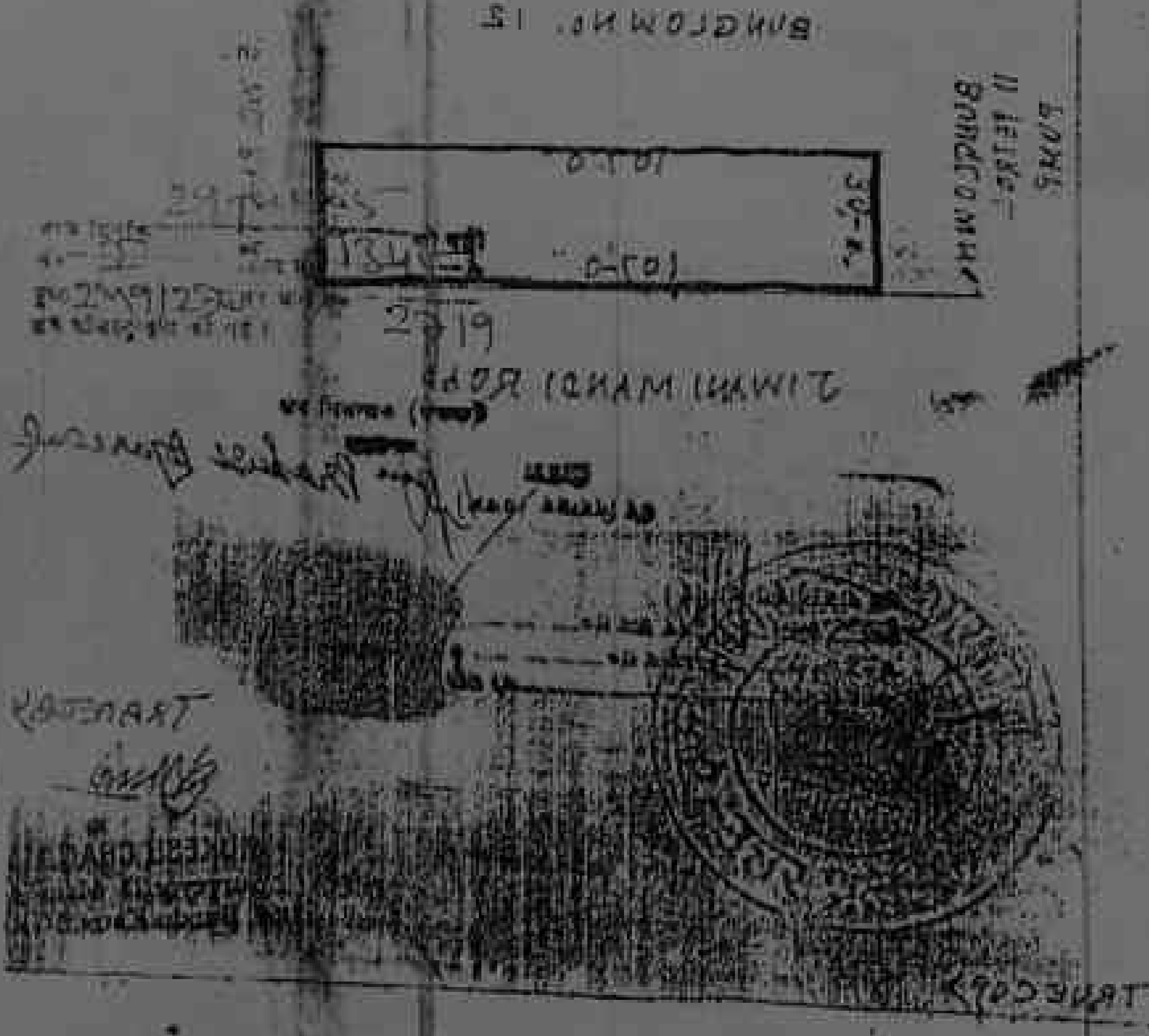
SITE PLAN OF LAND KHASRA No. [illegible]
JIWANI MANDI AGRA
OWNER:- SRI VIJAY KUMAR PATNI
SOLD TO:- SRI OM PRAKASH AGRAWAL
SHOWN IN RED COLOUR
AREA 355.[illegible]